

18-9-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

लिंगांक: एफ.3(1)साप्र./2/2012-पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 10 SEPT

-: आदेश :-

इस विभाग के समर्थक आदेश दिनांक 30.8.2012 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी विभिन्न विभागों में नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र सं.	विभाग सं.	नाम व पद	आवंटित आवास राज्या	सेवानिवृति दिनांक
1	100 / 2012	श्री विजय सिंह सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय सहायक आयुक्त वृत्त 'क', जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 56 विद्याधरनगर	31.5.2040
2	109 / 2012	डॉ संजय कुमार मोरवाल विकित्सक ऐनेस्थिसिया सवाई मानसिंह विकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 83 विद्याधरनगर	28.2.2039

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनपूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संघागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 मुख्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
 कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
 नियंत्रक, सवाई मानसिंह विकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
 अधीक्षक, सवाई मानसिंह विकित्सा लय, जयपुर।
 निदेशक, विकित्सा एवं रवारथ्य सेवायें, सजरथान, जयपुर।
 आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
 सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त 'एन', जयपुर।
 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवासों का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संस्था 6 की पालना को भी अग्रल में लावें।
 अधिकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन रवारथ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विविध निवास लिंग विद्याधरनगर, जयपुर।
 प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करायें।
 सहायक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड में चस्पा करायें।
 डॉ संजय कुमार मोरवाल, विकित्सक ऐनेस्थिसिया, सवाई मानसिंह विकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथी से नियम 11(गा)ए के तहत छ: माह पश्चात् मांस्तीनगर/जवाहरनगर हेतु विवारणीय होगा।
 श्री विजय सिंह, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त, वृत्त 'क', जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथी से नियम 11(गा)ए के तहत छ: माह पश्चात् मांस्तीनगर हेतु विवारणीय होगा।
 संबंधित अधिकारीगण।
 निदेशक, उद्धान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
 रक्षित पत्रावली।

(मनपूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव